अध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

आदेश

<u>भोपाल, दिनां</u>क 2.। .11.2016

क. 1829। /3757/21—अ(स्था.)/2016, विभाग द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश दिनांक 01.10.2016 को अतिष्ठित करते हुए, अधिकारियों के बीच निम्नानुसार नदीन कार्य विभाजन दिनांक 21.11.2016 से लागू किया जाता है:—

क. अधिकारी का साम

मावंदित कार्य

प्रमुख सर्विव- प्रमुख विधि परामशी

- केन्द्र एवं अन्य राज्य सरकारों से पन्न व्यवहार के महत्वपूर्ण मामले।
- सभी प्रकरण जिनमें महाधिवक्ता की राय ली जाना है।
- सभी प्रकरण जिनमें मुख्यमंत्री/मंत्री जी के आदेश आवश्यक हों।
- राज्यपाल / कुलाधिपति, मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव से प्राप्त प्रकरण।
- संवैधानिक निर्देश।
- संविधान सभा के संबंध में मत हेतु प्राप्त सभी प्रकरण।
- विधिक विलेखों के परीक्षण तथा प्रारूपण, विधीक्षा एवं अनुवाद संबंधी समस्त प्रकरण।
- ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण जो संबंधित सिचवों द्वारा भेजे जाएं अथवा जिन्हें प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा प्रमुख सिचव करें।
- न्यायिक शाखा । एवं २ के प्रकरण।
- आपराधिक शाखा के वे आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय मामले जिनमें सत्र न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय को उल्टाने के निर्णय जिनमें अपीलीय कार्यवाही नहीं की जाना प्रस्तावित हो।
- मत शाखा से संबंधित सभी प्रकरण।
- अभियोजन शाखा से संबंधित अभिमत।
- ऐसे सभी मामले जिनमें रू. 10,000 से अधिक का वित्तीय भार निहित हो।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सभी शाखाओं से संबंधित प्रकरण।
- ऐसे सभी विषय जो कि नीचे अन्य किसी अधिकारी के समक्ष अंतिम न होते हों।

श्री आर.के. वाणी, सर्विव

<u>ब्याविक ग्राह्म-1 (Judicial Branch-I)</u>

- न्यायिक शाखा—1 से संबंधित समस्त प्रकरण।
- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत गठित ग्राम न्यायालय की स्थापना से संबंधित समस्त विषय।

बजट ग्रान्ता (Budget)

शाखा से संबंधित समस्त कार्य ।

ट्यापना हााखा (Establishment)

- स्थापना शाखा से संबंधित समस्त कार्य ।
- स्थापना शाखा के प्रकरण जो प्रमुख सचिव को अंकित किया जाना अपेक्षित हो ।

अत हाएग(Opnion)

- शाखा से संबंधित समस्त कार्य।
- गृह निर्माण अग्रिम का स्वत्व परीक्षण।
- आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र का परीक्षण।

विविच

- प्रमुख सचिव द्वारा समय—समय पर साँपे गए अन्य कार्य
- 3. श्री जे.के. वैद्य, संविव

<mark>याचिका ग्रास्त्रा (Petition)</mark>

- उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकायें दायर किए जाने के निर्देश दिये जाना।
- विशेष अनुमति याचिकाओं में शासन का पक्ष समर्थन करने के निर्देश दिये जाना।
- उच्चतम न्यायालय में विशिष्ट अधिवक्ताओं को शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाना।
- राज्य तथा. राज्य के बाहर उच्च न्यायात.य में संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध याचिकाओं में शासन की ओर से प्रतिरक्षण एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करने के संबंध में मत।
- न्यायालयीन प्रकरणों में संबंधित अवमानना प्रकरणों के अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस आदि का परीक्षण किया जाना।
- याचिका प्रकरण में शासकीय कर्मचारियों का शासन के व्यय पर प्रतिरक्षण।
- माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में निजी अधिवक्ता नियुक्ति तथा प्रसंस्करण के मामलें।

आपराधिक शास्त्रा(Criminal)

- प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के दाण्डिक न्यायालय/उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में मध्यप्रदेश शासन की ओर से तथा उसके विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्य।
- उक्त प्रकरणों से उत्पन्न अवमानना प्रकरण।
- दाण्डिक प्रकरणों में शासकीय कर्मचारी का शासकीय व्यय पर प्रतिरक्षण ।

सिविल शास्त्रा (Civil)

- सिविल प्रकरणों के नोटिस तथा पदवार उत्तर का परीक्षण।
- उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में सिविल प्रकरणों में मत देना तथा आदेश जारी करना।
- माध्यस्थम अधिकरण के प्रकरण में अधिवक्ताओं की नियुक्ति परामर्श आदेश जारी करना।
- उक्त सिविल प्रकरणों में अधिवक्ताओं की फीस पर मत देना।
- सिविल प्रकरणों से संबंधित अवमानना प्रकरण में अधिवक्ताओं की नियुक्ति तथा उसकी फीस का निर्धारण।
- सिविल प्रकरण से संबंधित शासकीय कर्मचारियों के शासकीय व्यय पर प्रतिरक्षण।
- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर एवं खण्डपीठ ग्वालियर/खण्डपीठ इंदौर का समस्त कार्य।

प्रारूपण ग्रास्त्रा (Draffing)

- समस्त विद्येयको एवं अध्यादेशों का प्रारूपण।
- राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की एसेंट तथा इस संबंध में केन्द्रीय शासन से पत्राचार तथा राज्य शासन से विचार जानने हेतु मेजे केन्द्रीय विधेयक एवं अन्य मामलों से संबंधित सभी प्रकरण।
- केन्द्रीय विधि आयोग द्वारा चाहे गए अभिमत संबंधी समस्त कार्य।

বিষীয়া ছাতা (Veiling)

 समस्त अधीनस्थ विधान, विधिक नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, उप नियमों का प्रारूपण एवं विधीक्षा।

अनुवाद ग्राखा (Translation)

- अंग्रेजी में तैयार किए गए अधिनियम, अध्यादेश तथा विधेयक आदि जिनका हिन्दी अनुवाद तथा प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेशों का हिन्दी पाठः।
- शासकीय क्वियकों आदि का हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद का कार्य।

अभियोज्य द्याला (Prosecution)

- अभियोजन संबंधी मत।
- विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ध्यूरो, प्रशासकीय विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोजन स्वीकृति से संबंधित कार्य तथा धारा 120,130,131 दं.प्र.सं. के राज्य शासन से संबंधित प्रकरण धारा 295—ख, धारा 505 (1) (ख) (ग) (2) (3) भा.दं.सं. से संबंधित एवं उन सभी मामलों के अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण जिनमें विधि विभाग से अभियोजन स्वीकृति दी जाना है।
- अनुच्छेद 161 भारतीय संविधान के अंतर्गत दया याचिका से संबंधित प्रकरण एवं समय पूर्व बंदी मुक्ति के प्रकरण।
- आपराधिक प्रकरण वायसी संबंधी संपूर्ण प्रदेश का कार्य !

स्वना का अधिकार (Right To information)

सूचना के अधिकार से संबंधित समस्त अपीलीय कार्य।

विविष

प्रमुख सचिव द्वारा समय—समय पर सौंपे गए अन्य कार्य

श्री आर.के. सोनी, अतिरिक्त सचिव

काविक ग्रासा-2 (Judicial Branch-II)

- उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय में विधि अधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते संबंधित समस्त कार्य।
- नोटरी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित समस्त कार्य।
- अधीनस्थ न्यायालयों में लोक अभियोजक / अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति एवं सेवा शर्ती संबंधी समस्त कार्य।

- विधिक सहायता संबंधी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से संबंधित कार्य।
- विधि विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम एवं नियम से संबंधित समस्त कार्य।
- विधि आयोग।
- मैरिज लायसेंस।
- विधानसभा प्रश्न एवं विधानसभा से संबंधित कार्य।
- वकील पंचायत संबंधी समस्त कार्य।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर और महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर/इन्दौर कार्यालयों के निर्माण संबंधी कार्य एवं केन्द्र परिवर्तित योजना और वार्षिक योजना संबंधित कार्य।

आपराधिक ग्रा<u>खा(Crimi</u>nal)

- प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के दाण्डिक न्यायालय/उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में मध्यप्रदेश शासन की ओर से तथा उसके विरूद्ध प्रस्तुत उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर संबंधी समस्त आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य।
- उक्त प्रकरणों से उत्पन्न अवमानना प्रकरण।
- दाण्डिक प्रकरणों में शासकीय कर्मचारी का शासकीय व्यय पर प्रतिरक्षण।

सिविल ग्रासा (Civil)

- म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर से संबंधित समस्त सिविल प्रकरणों के नोटिस तथा पदवार उत्तर का परीक्षण।
- उक्त सिविल प्रकरणों में अधिवक्ताओं की फीस पर मत देना।
- सिविल प्रकरणों से संबंधित अवमानना प्रकरण में अधिवक्ताओं की नियुक्ति तथा उसकी फीस का निर्धारण।
- सिविल प्रकरण से संबंधित शासकीय कर्मचारियों के शासकीय व्यय पर प्रतिरक्षण।.
- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर का समस्त कार्य।

राज्य लोक सूचना अधिकारी

राज्य लोक सूचना के अधिकारी से संबंधित समस्त कार्य।

्रस्वना एवं प्रीयोगिकी (Information and Technology)

आई.टी. से संबंधित समस्त कार्य।

विमागीय अघोसंरचना एवं निर्माण

विभाग के नवीनीकरण/निर्माण तथा अद्योसरचना से संबंधित समस्त कार्य।

विविध

प्रमुख सचिवं / सचिव द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य

5.' श्री अमिताम मित्र. अतिरिक्त समिव

क्वायिक हात्वा-1 (Judicial Branch-I)

- न्यायिक शाखा—1 से संबंधित समस्त प्रकरण।
- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत गठित ग्राम न्यायालय की स्थापना से संबंधित समस्त विषय।

अत हात्सा(Opnion)

- शाखा से संबंधित समस्त कार्य।
- गृह निर्माण अग्रिम का स्वत्व परीक्षण।
- आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र का परीक्षण!

वाचिका हाखा (Pelition)

- उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमित याधिकायें दायर किए जाने के निर्देश दिये जाना।
- विशेष अनुमति याचिकाओं में शासन का पक्ष समर्थन करने के निर्देश दिये जाना।
- उच्चतम न्यायालय में विशिष्ट अधिवक्ताओं को शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया
 जाना।
- राज्य तथा राज्य के बाहर उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध याचिकाओं में शासन की ओर से प्रतिरक्षण एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करने के संबंध में मत।
- न्यायालयीन प्रकरणों में संबंधित अवमानना प्रकरणों के अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस आदि का परीक्षण किया जाना।
- याचिका प्रकरण में शासकीय कर्मचारियों का शासन के व्यय पर प्रतिरक्षण।
- माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में निजी अधिषक्ता नियुक्ति तथा प्रसंस्करण के मामलें।

विविच

- प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा समय—समय पर सौंपे गए अन्य कार्य
- श्री शरतचन्द्र सक्सेना.
 अतिरिक्त सर्विव

विषीका सा<u>खा (Vetting)</u>

 समस्त अधीनस्थ विधान, विधिक नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, उप नियमों का प्रारुपण एवं विधीक्षा।

अनुवाद ह्यांखा (Translation)

- अंग्रेजी में तैयार किए गए अधिनियम, अध्यादेश तथा विधेयक आदि जिनका हिन्दी अनुवाद तथा प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेशों का हिन्दी पाठ।
- शासकीय विधेयकों आदि का हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद का कार्य।

अभियोजन ग्रास्ता (Prosecution)

अभियोजन संबंधी मत।

- विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, प्रशासकीय विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अमियोजन स्वीकृति से संबंधित कार्य तथा धारा 120,130.131 दं.प्र.सं. के राज्य शासन से संबंधित प्रकरण धारा 295—ख, धारा 505 (1) (ख) (ग) (2) (3) भा.दं.सं. से संबंधित एवं उन सभी मामलों के अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण जिनमें विधि विभाग से अभियोजन स्वीकृति दी जाना है!
- अनुच्छेद 161 भारतीय संविधान के अंतर्गत दया याचिका से संबंधित प्रकरण एवं समय पूर्व बंदी मुक्ति के प्रकरण।
- आपराधिक प्रकरण वापसी संबंधी संपूर्ण प्रदेश का कार्य ।

अजिलेख विजयीकरण

विभाग में लम्बे समय से संधारित बेकार एवं अनावश्यक अभिलेख समस्त

पुस्तकालय

पुस्तकालयं से संबंधित समस्त कार्य।

<u>विविच</u>

- प्रमुख सचिव, सिथव द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य
- श्री आर. के. गुप्ता, अतिरिक्त सर्विव

आपराधिक ग्राखा(Criminal)

- प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के दाण्डिक न्यायालय / उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में मध्यप्रदेश शासन की ओर से तथा उसके विरूद्ध मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ ग्वालियर से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का समस्त कार्य।
- उक्त प्रकरणों से उत्पन्न अवमानना प्रकरण।
- दाण्डिक प्रकरणों में शासकीय कर्मचारी का शासकीय व्यय पर प्रतिरक्षण ।

स्रिविल ग्रासा (Clvii)

- म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर तथा ग्वालियर से संबंधित सिविल प्रकरणों के नोटिस तथा पदवार उत्तर का परीक्षण।
- उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत सिविल प्रकरणों में मत देना तथा आदेश जारी करना।
- माध्यस्थम अधिकरण के प्रकरण में अधिवक्ताओं की नियुक्ति परामर्श आदेश जारी करना!
- उक्त सिविल प्रकरणों में अधिवक्ताओं की फीस पर मत देना।
- सिविल प्रकरणों से संबंधित अवमानना प्रकरण में अधिवक्ताओं की नियुक्ति तथा उसकी फीस का निर्धारण।
- सिविल प्रकरण से संबंधित शासकीय कर्मचारियों के शासकीय व्यय पर प्रतिरक्षण।
- मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर तथा ग्वालियर का समस्त कार्य।

विविष

प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य

8. श्री राजेश वादव, अतिरिक्त सर्विव

प्रारूपण शास्त्रा (Draffing)

- समस्त विधेयकों एवं अध्यादेशों का प्रारूपण।
- राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की एसेंट तथा इस संबंध में केन्द्रीय शासन से पत्राचार तथा राज्य शासन से विचार जानने हेतु भेजे केन्द्रीय विधेयक एवं अन्य मामलों से संबंधित समी प्रकरण।
- केन्द्रीय विधि आयोग द्वारा चाहे गए अभिमत संबंधी समस्त कार्य।

कोडिपिकेश्वब (Codification)

- शाखा से संबंधित समस्त कार्य।
- मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव से संबंधित मानिटरिंग एवं उससे संबंधित समस्त कार्य।
- जनशिकायत निवारण विभाग से संबंधित मानिटरिंग के प्रकरण।
- याचिकाओं की मॉनिटरिंग से संबंधित समस्त कार्य।
- समस्त विधेयकों एवं अध्यादेशों के प्रारूपण, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की एसेंट तथा इस संबंध में केन्द्रीय शासन से पत्राचार तथा राज्य शासन से विचार जानने हेतु भेजे केन्द्रीय विधेयक एवं अन्य मामलों से संबंधित सभी प्रकरण।
- आरोप पत्र, अभिकथन पत्र का परीक्षण तथा कन्वेयसिंगः।

मॉबिट (Monit)

- मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सथिव से संबंधित मानिटरिंग एवं उससे संबंधित समस्त कार्य।
- जनशिकायत निवारण विभाग से संबंधित मानिटरिंग के प्रकरण।
- मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित एवं भारत सरकार में लंबित प्रकरणों की जानकारी!

याज क्यायालय (Gram Nyayalaya)

 ग्राम न्यायालय (ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरण जिनका प्रमुख सचिव को अंकित किया जाना अपेक्षित हो ।

विविच

- प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा समय-समय पर साँपे गए अन्य कार्य.
- 9. श्री आर.पी. गुप्ता. अवर संधिव
 - प्रारूपण के लिये प्राप्त विधेयक, अध्यादेश, नियम तथा अधिसूचना के विधिसम्मत होने की टीप पर विधिक अमिमत।
 - विधिक्षा शाखा हिन्दी एवं अंग्रेजी का समस्त कार्य।
 - विधीक्षा शाखा के अधीनस्थ विधायन का हिन्दी अनुवाद एवं उनसे संबंधित समस्त कार्य।
 - मुख्य विधायन शाखा से संबंधित अनुवाद प्रकरणों का अंतिम रूप देना।
 - प्रारुपण शाखा का समस्त कार्य।
 - विधायी समिति शाखा से संबंधित कार्य।

- प्रकाशित निर्णयों से संबंधित प्रकोष्ठ का कार्य।
- कोडिफिकेशन का कार्य।
- प्रमुख सचिव द्वारा समय—समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

10. श्रीमती रजनी पंचोली

अवर सविव

- मत शाखा का समस्त कार्य।
- याचिका शाखा का समस्त कार्य।
- कार्योलय स्थल पर विभागीय महिला शासकीय सेवकों की सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न के संबंध में उनसे प्राप्त शिकायतों का निराकरण।
- प्रमुख सचिव द्वारा समय—समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

11. श्री सी.एल. मुकाती,

अवर सचिव

- न्यायिक शाखा-2 का समस्त कार्य।
- स्थापना शाखा के अंतर्गत गोपनीय प्रकोध्व का समस्त कार्य।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी को आवंदित कार्यों के अतिरिक्त स्थापना शाखा का समस्त कार्य।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटराईजेशन संबंधी समस्त कार्य।
- विभागीय शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें अथवा उनके द्वारा किये गए आवेदनों/समस्याओं के निराकरण संबंधी समस्त कार्य।
- प्रमुख सचिव द्वारा समय—समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

12. श्री अनील शर्मा, स्टॉफ आफिसर

- कार्यालय की अद्योसंरचना, नवीनीकरण एवं संघारण संबंधी समस्त कार्य।
- जन शिकायतः।
- प्रमुख सचिव द्वारा समय—समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

ऑबिट (Monit)

- मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव से संबंधित मानिटरिंग एवं उससे संबंधित समस्त कार्य।
- जनशिकायत निवारण विभाग से संबंधित मानिटरिंग के प्रकरण।
- मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित एवं भारत सरकार में लंबित प्रकरणों की जानकारी।

13. श्री एच.एम. **बार्थ**म अवर स**चिव**

- आपराधिक शाखा का समस्त कार्य
- सिविल शाखा का समस्त कार्य।
- निर्वाचन डायजेस्ट का समस्त कार्य।
- प्रमुख सचिव द्वारा समय—समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

श्री रमेश चंदेवाल, वरिन्छ लेखायिकारी

- विभाग के बजट एवं लेखा संबंधी समस्त कार्य।
- विभाग की स्थापना शाखा से संबंधित समस्त कार्य जिनमें वित्तीय भार निहित हो।
- समस्त अधिकारी / कर्मचारीगण की उपस्थिती संबंधी कार्य।
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी के समस्त कार्य।
- प्रमुख सचिव द्वारा समय—समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

(ए.एम. सक्सेना) प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

अधिकारिकों की अबुपरिवति में कार्य संपादन

दिनांक <u>2.1.11.2016</u>

निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 2 के अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनका आवश्यक कार्य अन्य आदेश होने तक तालिका में उनके नाम के सम्मुख कमांक 3 एवं 4 के अधिकारीगण सम्पादित करेंगे।

आदेश क.	होने तक तालिका में उनके नाम अधिकारी जिनकी अनुपस्थिति पर कार्य संपादित किया जाना है	अधिकारी जो कार्य संपादित करेंगे	क. 3 की अनुपस्थिति में अधि. कार्य संपादित करेंगे 4.
1.	प्रमुख सचिव, विधि	3. श्री आर.के. वाणी, सचिव	श्री जे.के. वैद्य, सचिव
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	प्रमुख सायव, विविध्य श्री आर. के. वाणी, सिचव श्री जे.के. वैद्य, सिचव श्री आर. के. सोनी, अतिरिक्त सिचव श्री अमिताभ मिश्र, अतिरिक्त सिचव श्री शरतचन्द्र सक्सेना, अतिरिक्त सिचव श्री आर.के. गुप्ता, अतिरिक्त सिचव श्री राजेश यादव, अपर सिचव श्री आर. पी. गुप्ता, अवर सिचव	सचिव श्री जे.के. वैद्य, सचिव श्री आर. के. वाणी, सचिव श्री शरद सक्सेना, अतिरिक्त सचिव श्री आर. के. सोनी, अतिरिक्त सचिव श्री अमिताम मिश्र, अतिरिक्त सचिव श्री आर.के. सोनी, अतिरिक्त सचिव श्री आर.पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव श्री आर.पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव श्री राजेश यादव, अपर सचिव	श्री अमिताथ मिश्र, अतिरिक्त सचिव श्री आर. के. सोनी. अतिरिक्त सचिव श्री अमिताथ मिश्र. अतिरिक्त सचिव श्री शरतचन्द्र सक्सेना, अतिरिक्त सचिव श्री शरतचन्द्र सक्सेना, अतिरिक्त सचिव श्री आर.के. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव श्री अमिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव श्रीमती रजनी पंचोली, अतिरिक्त सचिव श्रीमती रजनी पंचोली, अवर सचिव श्री एच.एम. बाथम,
10. 11. 12 13	श्रीमती रजनी पंचोली, अवर सचिव श्री सी.एल. मुकाती, अवर सचिव श्री अनिल शर्मा, स्टॉफ ऑफिसर श्री एच.एम. बाधम, अवर सचिव	श्री सी.एल. मुकाती, अवर सचिव श्री अनिल शर्मा, स्टॉफ ऑफिसर श्री सी.एल. मुकाती, अवर सचिव श्रीमती रजनी पंचोली, अवर सचिव श्री सी.एल. मुकाती, अवर सचिव	अपर सचिव श्रीमती रजनी पंचोली, अवर सचिव श्री एच.एम. बाथम, अपर सचिव श्री आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव श्री अनिल शर्मा, स्टॉफ ऑफिसर

नोट≔

1. कालम 3 एवं 4 के अधिकारीगण भी अनुपरिधत हो तो कालम 4 में वर्णित अधिकारी का आवश्यक कार्य देखने के लिए जो अधिकारी अधिकृत हैं वे कालम 2 में वर्णित उस अधिकारी का कार्य देखेंगे।

2. समस्त अतिरिक्त सचिवगण की अनुपरिथति में उनका आवश्यक कार्य उपलब्ध उप सचिव/अवर सचिव द्वारा

 समस्त अवर सचिव की अनुपरिथित में उनसे संबंधित कार्य अति. मचिव/उप सचिव द्वारा संपादित किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,